

**अपने अवकाश ग्रहण पर पूर्ण न्यायालय संदर्भ में
न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र नाथ मित्थल का सम्बोधन**

मुख्य न्यायमूर्ति माननीय श्री मनोज कुमार जी मुखर्जी,
माननीय बन्धु न्यायमूर्ति वृन्द,
उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता श्री चौधरी,
गर्वन्मेन्ट एडवोकेट,
उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री योग,
विद्वत् अधिवक्ता मण्डल, एवं
अन्य उपस्थित सज्जनों,

इस पावन नगरी में मैंने माँ गंगा के आंचल में आयोजित 13 माघ मेलों के संत प्रवचन एवं 14 बसंत बयारों का सुख भोगा है और आज वह पूर्व निर्धारित घड़ी आ पहुँची है जब मुझे आप सभी से विनम्रतापूर्वक विदा लेनी है। न्यायालय में प्रथम प्रवेश के समय आप मुझसे अपरिचित थे और मैं आपसे। परन्तु अल्प काल में ही आप सभी ने जिस स्नेह एवं सहजता से इस अंजान व्यक्ति को स्वीकार किया यह मात्र आपके हृदय की विशालता का ही द्योतक है। इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा।

सौभाग्य से मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो 1911 से ही विधि की विद्या में पूर्ण रूपेण संलग्न रहा है। मेरे पिता फिर मेरे बड़े भाई, मैं अब मेरे दो भतीजे मेरठ में इसी श्रृंखला की कड़ियों की भांति परिवार की परम्पराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा केवल तात्पर्य इतना ही है कि मैं मूल भूत एक अधिवक्ता परिवार का सदस्य हूँ जहाँ वकालत का व्यवसाय जन्म से ही आबद्ध हो जाता है। जीवन के 25 वर्ष अधिवक्ता के रूप में समर्पित करने के उपरान्त ही मुझे इस न्यायालय में न्यायमूर्ति का पद भार ग्रहण करने का आदेश मिला था और मैंने भरसक यही प्रयत्न किया है कि जितना योगदान मैं अपनी क्षमता के अनुरूप इस न्यायालय में कर सकूँ वह करूँ। मुझे खेद है कि मैं अपनी ही दृष्टि में ऐसा नहीं पाता। जो चित्र मेरे मन में इस न्यायालय के विषय में था वैसा मैं कदाचित कर नहीं पाया।

आज जिस प्रकार का वातावरण व्याप्त है वह वास्तव में आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है और समय रहते ही चेत जाना श्रेयस्कर होगा। बंधु न्यायमूर्तिगण भी कार्य के अतिभार में दबे हैं और आपके समक्ष भी अनेकानेक कठिनाइयाँ तथा अवरोध हैं। मैं आपके संघर्ष, आपके परिश्रम एवं कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। अधिवक्ता जिस प्रकार वाद-कारों, न्यायालय तथा बंधु अधिवक्ता के प्रति अपने कर्तव्यों का कितनी कठिनाइयों से निर्वहन करता है वह भी सर्वविदित हैं। यह सब ऐसी बातें हैं जिन पर स्थिर मन और बुद्धि से ही विचार

करना आवश्यक हो गया है किसी पर भी दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं है। न जाने कौन, कहाँ और कितना इन कारणों के मूल में है।

आप सुविज्ञ हैं, सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली हैं परन्तु प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर दिन प्रतिदिन लोप होता जा रहा है। इस न्यायालय और इसकी प्रक्रिया में केवल आप में ही वह शक्ति है जो इसमें प्राणों का स्पन्दन कर सकता है क्योंकि इसके स्थायी आधार आप ही हैं। आप ही इसे स्थिरता भी प्रदान कर सकते हैं। आपमें क्षमता, योग्यता, विद्वता एवं सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है अतः आपका दायित्व अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्तिगण अपना सीमित कार्यकाल लेकर आते हैं अतः योगदान भी सीमित ही कर पाते हैं वह भी सम्पूर्ण संयम, धैर्य एवं कुशल व्यवहार के द्वारा ही सम्भव है। अन्ततः विद्वत अधिवक्ता मण्डल ही इस संस्था को शक्ति, गरिमा एवं सार्थकता प्रदान कर सकता है। यह श्रेय आपका ही है।

इस विदाई के क्षण में मेरे मन व हृदय में केवल एक ही कामना है कि आप सभी का भविष्य उज्ज्वल, सुखमय एवं समृद्धिशाली हो और आपके योगदान से यह न्यायालय अपनी गरिमा तथा गौरव का चरमोत्कर्ष प्राप्त कर आपकी योग्यता का प्रकाश चारों ओर फेले आप यशस्वी हों। इन्हीं शब्दों से साथ मैं आपका मन ही मन स्नेह व आदर सहित नमन करता हूँ और आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ।

विदा से पूर्व मैं न्यायालय की रजिस्ट्री के अधिकारियों, अन्य विभागों में रत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ जिनसे मुझे सदा ही पूर्ण सहयोग एवं आदर मिला है। मैं अपने निजी सचिव अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री फरीदुद्दीन अहमद तथा बेन्च सेक्रेटरी श्री जे० पी० द्विवेदी का भी आभारी हूँ जिन्होंने हर समय मुझे भरसक सहयोग दिया है जिसके आभाव में कार्य करना सम्भव न होता। मैं इन सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं अपने सेवा निवृत्त जमादार रामनाथ तथा वर्तमान जमादार जलीलुद्दीन का भी सदैव आभारी रहूँगा।

अन्त में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किन शब्दों में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य बन्धु न्यायमूर्तिगण के प्रति आभार प्रकट करूँ जिनका स्नेह, सहयोग, मुझे सदा ही मिलता रहा है मुझे विश्वास है कि शब्दों की अपेक्षा मेरे मनोभावों को वे समझते हैं और इसी विश्वास पर मैं उनसे तथा आप सभी से विदा लेते हूँ।

नमस्कार।